



2026:AHC: 165029-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या - 3376/2026

श्री व्योम मेहता

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

आयकर विभाग और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: हया रिज़वी, ज़िया रिज़वी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अंकुर अग्रवाल, धनंजय अवस्थी, राजेश त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 39

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव कुश के साथ श्री नितिन कुमार और राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री अंकुर अग्रवाल को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई है।
3. याचिकाकर्ता स्वयं को एक निजी निगम का वेतनभोगी कर्मचारी बताता है। वैकल्पिक रूप से, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता कभी भी माल या सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति की किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं रहा। प्रश्नागत निर्धारण वर्ष के लिए, याचिकाकर्ता ने 4,15,630/- रुपये की वार्षिक आय का खुलासा करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था। उसने कोई अन्य आय प्राप्त नहीं की थी। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 148-ए(1) के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.3.2026 प्राप्त करके आश्चर्यचकित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



था। इसमें, आयकर पोर्टल के माध्यम से जोखिम प्रबंधन रणनीति के तहत प्राप्त जानकारी का संदर्भ दिया गया है। संक्षेप में, व्यावसायिक लेनदेन और याचिकाकर्ता के पैन से संबंधित आय की जानकारी निकाली गई है। इस प्रकार उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुलग्नक के प्रस्तर 3 और 4 में, निम्नानुसार अवलोकन किया गया है:-

"3. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित लेनदेन किए हैं:

क्रम संख्या	सूचना विवरण	सूचना स्रोत	लेनदेन मूल्य (रुपये में)
1	डमी इकाई द्वारा खरीद लेनदेन	डीडीआईटी/एडीआईटी (इन्वे.) 1(1), नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार	11,16,10,199
2	जीएसटीआर-1 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई कुल बिक्री	जीएसटीआईएन	24,03,22,375
3	जीएसटीआर-3B के अंतर्गत रिपोर्ट की गई कुल बिक्री	जीएसटीआईएन	29,46,36,781
4	टीडीएस विवरण-पेशेवर के लिए शुल्क; सेवाएँ या रॉयल्टी	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दिल्ली	5,83,597

4. आयकर विभाग के इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन और ई-फाइलिंग पोर्टल पर आगे की गई पृष्ठताछ पर, यह देखा गया है कि आपने विचाराधीन निर्धारण वर्ष के लिए 17.07.2022

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को 4,15,630/- रुपये की कुल आय पर आय का रिटर्न दाखिल किया है जो उपरोक्त लेनदेन के अनुरूप नहीं है।"

4. याचिकाकर्ता ने उस नोटिस का उत्तर दिया और अपने लिखित उत्तर के माध्यम से व्यावसायिक लेनदेन के तथ्य से पूरी तरह इनकार किया। 4,15,630/- रुपये की वेतन आय को स्वीकार करते हुए, उसने व्यावसायिक इकाई हरि ओम ट्रेडर्स (याचिकाकर्ता के एक स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के रूप में वर्णित) के ज्ञान से पूरी तरह इनकार किया है और आगे उस व्यापारिक नाम में उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यावसायिक लेनदेन से पूरी तरह इनकार किया है। उसने उक्त हरि ओम ट्रेडर्स के व्यावसायिक पते के साथ किसी भी जुड़ाव से भी पूरी तरह इनकार किया है, जैसा कि जीएसटी प्राधिकारी को झुग्गी एनपी-8, रोड संख्या 77, राजीव गांधी कैंप, पंजाबी बाग, दिल्ली के रूप में बताया गया था।

5. इस प्रकार हरि ओम ट्रेडर्स के साथ अपने संबंध से इनकार करने और उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय से पूरी तरह इनकार करने के पश्चात, याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि विशेष रूप से, जब उसने कुछ ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रस्तुत किए थे, तो उसकी पहचान चुरा ली गई होगी।

6. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने जीएसटी प्राधिकारी से पूछताछ करने का दावा किया है जिसमें उसे जीएसटी प्राधिकारियों से दिनांक 29.4.2026 का एक ई-मेल प्राप्त हुआ है। इसके तात्त्विक भाग को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:-

"मामले का परीक्षण किया गया है और यह देखा गया है कि पंजीकरण मांगने के लिए एक आवेदन एआरएन AA070921022970B के माध्यम से दिनांक 08/09/2021 को मेसर्स हरि ओम ट्रेडर्स के नाम से श्री व्योम मेहता निवासी बी 201, कौशाम्बी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रयोजन के लिए, पैन और आधार कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत की गई थी जो श्री व्योम मेहता से संबंधित थी। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि पंजीकरण जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया था। हालांकि, क्षेत्र भ्रमण के दौरान, यह रिपोर्ट किया गया था कि फर्म दिए गए मुख्य व्यावसायिक स्थान पर मौजूद नहीं पाई गई थी। तदनुसार, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात फर्म का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। दिनांक 29/04/2022 को एआरएन ZA070422241658H के माध्यम से फर्म

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का पंजीकरण पंजीकरण की तिथि से स्वतः रद्द कर दिया गया था। पंजीकरण मांगते समय प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। फर्म ने तीन महीने यानी अक्टूबर, 2021 से दिसंबर, 2021 तक अपना व्यवसाय संचालित किया। हालांकि, उक्त अवधि के दौरान इसके द्वारा किए गए सभी लेनदेन को प्रतिबंधित करते हुए फर्म का पंजीकरण इसकी पंजीकरण की तिथि से स्वतः रद्द कर दिया गया था। पोर्टल के अनुसार, दी गई ईमेल आईडी vyome5643@outlook.com है और मोबाइल संख्या 8447286736 है।"

7. यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी आपतियां उठाई गई थीं, आयकर अधिकारी ने उन्हें खारिज कर दिया है और अधिनियम की धारा 148-A(3) के अंतर्गत आदेश दिनांक 16.6.2026 पारित किया है। दाखिल की गई आपतियों का संज्ञान लेने के पश्चात, प्राधिकारी ने उन्हें अस्थिर पाया है। उपलब्ध प्रथम दृष्टया सामग्री का संदर्भ देते हुए और उसे प्रासंगिक मानते हुए, पुनर्निर्धारण कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

8. अभिवेदन यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपतियों पर बिंदुवार विचार नहीं किया गया है। उठाई गई किसी भी विशिष्ट आपति को खारिज करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया है, इसलिए वह दावा करता है कि उसे पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के अधीन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक पूछताछ नहीं की जाती है कि यह याचिकाकर्ता ही है, जो हरि ओम ट्रेडर्स के नाम से प्रमाणित व्यावसायिक लेनदेन के पीछे वास्तविक व्यक्ति है।

9. दूसरी ओर, राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि, विधि में किए गए संशोधन पर, राजस्व केवल प्रासंगिक सामग्री के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बाध्य है। पहले उपलब्ध "विश्वास करने का कारण" का सख्त परीक्षण अब लागू नहीं होता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि **जीकेएन ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी और अन्य, (2003) 1 एस.सी.सी. 72** (जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार और संशोधित विधि के तहत एक वैधानिक आवश्यकता के रूप में आपतियों से निपटने का अर्थ कभी भी आपतियों के व्यक्तिगत गुण-दोष पर विस्तृत कारण दर्ज करना नहीं हो सकता है। पहला, यह आपतियों से निपटने का दायरा नहीं है और दूसरा, यदि वह रास्ता अपनाया जाता, तो यह निर्धारिती के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पूर्वाग्रहपूर्ण होता क्योंकि पुनर्निर्धारण कार्यवाहियां शुरू होने से पहले ही अस्थायी निष्कर्ष निकाले जा सकते थे। जिस सीमा तक, प्रस्तावित पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के संदर्भ में राजस्व द्वारा भरोसा की गई सामग्री की प्रासंगिकता को कोई चुनौती नहीं है, इन तथ्यों में, राजस्व पर विस्तृत कारण दर्ज करने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थोपी जा सकती है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, भले ही निर्धारण कार्यवाहियां शुरू करने के लिए "विश्वास करने का कारण" दर्ज करने का नियम अब मौजूद नहीं है, अधिनियम की धारा 148-ए(1) के प्रयोजन के लिए निर्धारण प्राधिकारी को केवल यह निर्धारित करते हुए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है कि "क्या यह धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है या नहीं"।

11. उक्त के प्रकाश में देखा जाए तो, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण कार्यवाहियां शुरू करने के लिए कोई विस्तृत "विश्वास करने का कारण" दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्धारण करने के लिए कि यह अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, सामग्री की प्रासंगिकता और उठाई गई आपत्ति पर मन के प्रयोग का समय-परीक्षित नियम अभी भी जीवित रह सकता है।

12. वर्तमान तथ्यों में, याचिकाकर्ता को यह स्वीकार्य है कि राजस्व के पास अपने पोर्टल से प्राप्त जानकारी है। यह याचिकाकर्ता के पैन से संबंधित है। वर्तमान योजना और व्यवस्था के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए वे सभी लेनदेन जहां ग्राहक विवरण स्वीकार किए जाते हैं, वे लेनदेन किसी व्यक्ति की पैन पहचान से जुड़े होने के कारण कॉमन पोर्टल पर परिलक्षित होते हैं। इससे याचिकाकर्ता की वर्तमान शिकायत उत्पन्न हुई है। यद्यपि याचिकाकर्ता इस बात का विवाद नहीं करता है कि कुछ वित्तीय लेनदेन उसके पैन से जुड़े हुए हैं, वह उन लेनदेन के साथ अपनी संलिप्तता से इनकार करता है। इसमें वह दावा करता है कि उसकी पहचान चुरा ली गई है। उसने दिल्ली अधिकारिता के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज कराई है। यह लंबित है। उसने पूछताछ भी की है और उसके पश्चात जीएसटी प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। यद्यपि जीएसटी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को एक ई-मेल संचार जारी किया है जिसमें उनके ज्ञान में कुछ तथ्यों का खुलासा किया गया है, जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है और इसलिए, उनके द्वारा कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं दिया गया होगा कि याचिकाकर्ता वह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यक्ति नहीं है जिसने आक्षेपित कार्यवाहियों को जन्म देने वाले लेनदेन किए होंगे। जानकारी से पता चलता है कि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण वर्तमान याचिकाकर्ता की पहचान पर प्रदान किया गया था। साथ ही, यह भी वर्णन किया गया है कि क्षेत्र निरीक्षण पर, फर्म दिए गए मुख्य व्यावसायिक स्थान पर मौजूद नहीं पाई गई थी। जारी किए गए नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला। तदनुसार, पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। आगे जीएसटी खाते से जुड़ा कोई बैंक खाता नहीं पाया गया है। जिस सीमा तक, जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई है और जिस सीमा तक आयकर प्राधिकारी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक स्वतंत्र जांच करने के अपने अधिकारों के भीतर हैं, जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा जारी संचार निर्णायक मूल्य का नहीं है। वर्तमान में, इसका स्पष्ट रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

13. निष्कर्ष निकालने के लिए, यद्यपि पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान याचिकाकर्ता का बचाव जीवित रह सकता है, वर्तमान में, राजस्व प्राधिकारियों के लिए याचिकाकर्ता के बचाव को स्वीकार करने के लिए कोई अन्य आदेश पारित करने का चरण निर्धारित नहीं था, जिससे पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों को छोड़ दिया जा सके। याचिकाकर्ता के बचाव को स्वीकार करने के लिए, पहचान की चोरी का पक्का निष्कर्ष निकाले जा सकने से पहले साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, दस्तावेजों की जांच करनी होगी और पूछताछ करनी होगी। ऐसा केवल उचित निर्धारण/पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान ही किया जा सकता है। प्रारंभिक चरण पर, संशोधित विधि के संदर्भ में, यह निर्धारित करने के लिए किसी अतिरिक्त पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी कि यह पुनर्निर्धारण कार्यवाहियां उत्पन्न होने के लिए एक उपयुक्त मामला है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि राजस्व यह स्थापित करने के लिए सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है कि विवादित लेनदेन याचिकाकर्ता द्वारा किए गए थे। एक बार जब याचिकाकर्ता ने एक नकारात्मक तथ्य का अभिवचन किया है और निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष अपने उस रुख को पुष्ट करने के अधीन, इस सकारात्मक तथ्य को स्थापित करने का भार कि याचिकाकर्ता और किसी अन्य ने उस लेनदेन को नहीं किया था जिससे आय के पलायन का आरोप उत्पन्न हुआ है, का निर्वहन राजस्व द्वारा किया जाना होगा। जब तक प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक भार निर्धारिती पर स्थानांतरित नहीं हो सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है। पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों में, याचिकाकर्ता को बचाव में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलेगा जैसा उसे सलाह दी जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

6 अगस्त, 2026

अनिल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”